प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 04.07.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मृतक मोहित शर्मा की हत्या के अभियोग में अन्य 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का विवरण

दिनांक 02.07.2026 को वादी श्री मनीष (निवासी: शांतिनगर, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद) ने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में तहरीर दी गौरव शर्मा और उसके साथियों ने मोहित शर्मा को जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर बुलाया और षड्यंत्र रचकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी।

कार्यवाही का विवरण

उक्त सम्बन्ध में तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 3(5), 61(2), 103(1), 191(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की तत्परता से तलाश की गई। जिसके क्रम में दिनांक 03.07.2026 को मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पुत्र विनोद शर्मा, निवासी रामेश्वर मैरिज होम के पीछे वाली गली में किराये का मकान, बिहारिपुरा, गाजियाबाद को पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

दिनांक 03.07.2026 को रात्रि के समय उपरोक्त हत्या की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त:

1. **देव उर्फ देव शक्ति** (पुत्र स्व. श्री राजेंद्र सिंह)
2. **न्याय उर्फ अजय** (पुत्र स्व. श्री राजेंद्र सिंह)
3. **हरीश उर्फ हरी** (पुत्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र शर्मा)

को मुखबिर की सूचना पर कृष्णा वाटिका से जल प्लांट वाले रास्ते, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक मोहित व गौरव शर्मा एवं हम सब आपस में दोस्त थे। कुछ दिन पहले जब मृतक मोहित हम सब के साथ हरिद्वार गया था, तब वहां पर मृतक मोहित से गौरव शर्मा के ऊपर कोल्डड्रिंक गिर जाने के कारण आपस में झगड़ा हो गया था। बाद में दोनों का आपसी समझौता हो गया था, परन्तु गौरव शर्मा के मन में अभी इस बात को लेकर टीस थी। जिसके चलते गौरव शर्मा के साथ मिलकर हम सब ने मोहित को मारने का प्लान बना लिया और दिनांक 02.07.2026 को रात्रि में जन्मदिन की पार्टी करने के बहाने से उसे बुलाकर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी तथा हम सब लोग वहां से भाग गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. **देव उर्फ देव शक्ति** पुत्र स्व. श्री राजेंद्र सिंह, निवासी मकान नंबर 75 ललित पार्षद वाली गली, न्यू शांति नगर, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद। (मूल निवासी: रामनगरा नौझील बाजना, जिला मथुरा), उम्र करीब 20 वर्ष।
2. **न्याय उर्फ अजय** पुत्र स्व. श्री राजेंद्र सिंह, निवासी मकान नंबर 75 ललित पार्षद वाली गली, न्यू शांति नगर, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद। (मूल निवासी: रामनगरा नौझील बाजना, जिला मथुरा), उम्र करीब 19 वर्ष।
3. **हरीश उर्फ हरी** पुत्र स्वर्गीय श्री नरेंद्र शर्मा, निवासी किराए का मकान (मालिक टीटू चक्की वाली गली), न्यू शांति नगर, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद। (मूल निवासी: हनुमान मंदिर के पास बृजघाट गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़), उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग:

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में धारा 3(5), 61(2), 103(1), 191(2) बीएनएस पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 20 किलो 600 गांजा व घटना मे प्रयुक्त 01 स्कूटी, 02 मोबाइल फोन तथा गांजा बिक्री के 775 रुपये बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाले 02 अभियुक्त 1.दशरथ पुत्र गोरेलाल निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम गुलगंज थाना गुलगंज जिला छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष 2.वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेश सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम बूटी, थाना सदर, जिला रांची झारखण्ड उम्र करीब 37 वर्ष को ग्रीन वेल्ट रोड़ शक्ति खण्ड 04 झुग्गी झोपड़ी के पास से 20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी, 02 मोबाइल फोन, गांजा बिक्री के 775/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-अभियुक्त दशरथ ने पूछने पर बताया कि गाजियाबाद में करीब 8-9 वर्षो से विभिन्न स्थानों पर रहा हूँ व करीब 6-7 वर्ष पहले मुझे मकान नं0 12 नन्दग्राम मे आश्रम के पास योजना में सरकारी आवास मिला था जिसे मैंने काफी समय पहले किराये पर दे रखा है मेरा परिवार मेरे मूल गाँव गुलगंज थाना गुलगंज जिला छतरपुर म0प्र0 में रहता है मैं गांव से गाजियाबाद आता जाता रहता हूँ , अभी में करीब 15 दिन पहले ही गाँव से अपनी पत्नी परी व लडके राघव उर्फ रघु उम्र करीब डेढ साल को साथ लेकर मैं झुग्गी-झोपड़ी शक्तिखण्ड-4 में रह रहा हूँ अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार ने पूछताछ में अभियुक्त दशरथ के ब्यानो का समर्थन करते हुये बताया कि साहब मैं करीब पिछले दो माह से अपनी पत्नी कविता व बच्चो के साथ झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 में रह रहा हूँ हम मजदूरी करने आये थे तथा कच्चे लालच मे पड़ कर गांजा बेचने का काम करने लगे। यह गांजा मै (दशरथ) अज्ञात व्यक्ति से गांजा दिल्ली आनन्द-बिहार से खरीदते है तथा पुडियो मे अन्य लोगो को देकर बिकबाते है व वीरेन्द्र भी मेरे साथ पुडिया बिकवाता है तथा जो रुपये मिलते है उससे अपना शौक-मौज पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. दशरथ पुत्र गोरेलाल निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम गुलगंज थाना गुलगंज जिला छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष।
2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेश सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम बूटी, थाना सदर, जिला रांची झारखण्ड उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- करीब 20 किलो 600 गांजा व घटना मे प्रयुक्त 01 स्कूटी, 02 मोबाइल फोन तथा गांजा बिक्री के 775 रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 02/07/2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना तथा वादी द्वारा पुत्री से जानकारी करने पर उसने बताया कि पूर्व में भी इसने मेरे साथ गलत काम किया तथा घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी एवं इसकी शिकायत वादी की माँ द्वारा बाल अपचारी के परिजनों से करने पर उसके परिजनों द्वारा बदसलूकी करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं- 65(2)/351(3)/352 बीएनएस, 5(l)(m)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 04.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया कि वादी की पुत्री के साथ मैंने बहला फुसलाकर गलत काम किया था। मैंने उसे घर वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वादी की माँ ने जब मेरे घर पर मेरी शिकायत की तो मेरे घर वालों ने उनके साथ बदसलूकी की थी।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।